Fax.: (05452) 252244, 252344, Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता/2026/7795 दिनांक : 04.05.2026

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

अनुस्मारक–01

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक,
समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
सम्बद्ध वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांक–पू0वि0वि0/सम्बद्धता/2026/7578 दिनांक 22.04.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या– डिग्री विकास/150–51/2026–27 दिनांक 20.04.2026 एवं शासन के पत्र संख्या–260/सत्तर–3–2026–1975038 दिनांक 02 अप्रैल, 2026 जों प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में महाविद्यालय में कार्यरत स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अनुमोदित एवं अद्यतन कार्यरत शिक्षकों का विवरण शपथ पत्र पर ई–मेल departmentaffiliation1@gmail.com पर तथा हार्ड कापी एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अद्यतन अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा सूचना पूरित कर प्रेषित नहीं की गयी है, जो कि अत्यन्त खेद जनक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में अनुमोदित एवं अद्यतन कार्यरत शिक्षकों का विवरण शपथ पत्र पर ई–मेल departmentaffiliation1@gmail.com पर सूचना प्रेषित करते हुए हार्ड कापी एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे जिससे शासन के मंशानुरूप शिक्षकों को कैशलेश चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में विलम्ब अथवा अन्य कारणों से यदि कोई शिक्षक उक्त लाभ से वंचित रह जाता अथवा अपात्र को लाभ प्राप्त हो जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय प्रशासन की होगी। शपथ पत्र पर भेजी जाने वाली सूचना का प्रारूप निम्नवत् है–

क्र0	प्राचार्य/ शिक्षकों का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति/अनुमोदन तिथि	कार्यभार ग्रहण तिथि	आधार नम्बर	जन्म तिथि	विषय	यू0जी0/ पी0जी0

अतः उपर्युक्त का कड़ाई से ससमय अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि–

1. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या– डिग्री विकास/150–51/2026–27 दिनांक 20.04.2026 के क्रम में सूचनार्थ।
2. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. डॉ0 संजीव गंगवार (वेबमास्टर), एम0सी0ए0 विभाग, विश्वविद्यालय परिसर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

04.05.26
कुलसचिव